MT-17

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : रहिका

निरीक्षण की तिथि : 24–11–2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 24-11-2002 को रहिका थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

रहिका थाना की स्थापना वर्ष 1977 में मधुबनी नगर थाना से पृथक होकर, सहायक थाना के रूप में किया गया है । यह थाना जिला मुख्यालय से लगभग 9 कि०मी० की दूरी पर पश्चिम में मधुबनी अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है । इस थाना का क्षेत्रफल अनुमानतः 25,800 एकड़ तथा जनसंख्या अनुमानतः एक लाख है । थाना से उत्तर 1/2 कि०मी० की दूरी पर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय स्थित हैं । थाना से उत्तर 1/2 कि०मी० की दूरी पर रहिका मुख्य चौराहा(इंसाफ चौक) है, जहाँ से दरभंगा, जयनगर, बेनीपट्टी तथा कलुआही थाना तथा दक्षिण में दरभंगा जिला का रैयाम एवं केवटी थाना एवं पूरब दिशा में नगर थाना मधुबनी और पश्चिम में विस्फी तथा अरेर थाना अवस्थित है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना के अन्तर्गत कोई पिकेट नहीं है । थाना सुरक्षित बल से ही अपराध एवं विधि-व्यवस्था संबंधी कार्य लिया जाता है ।

निरीक्षण के समय आरक्षी उपाधीक्षक(मुख्यालय), मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी उपस्थित थे । आरक्षी उपाधीक्षक(मुख्यालय), मधुबनी ने बताया कि सहायक थाना होने के कारण एफ०आई०आर० नगर थाना, मधुबनी में ही होता है ।

2- भवन :-

इस थाना का अपना कोई भवन नहीं है । वर्त्तमान में खादी ग्रामोद्योग के भवन में 500/-(पाँच सौ) रुपये प्रति माह की दर से किराए पर चल रहा है । थाना प्रभारी ने बताया कि विगत तीन माह से भाड़ा का भुगतान भी नहीं किया जा सका है । थाना भवन का निरीक्षण किया गया । इस भवन में पदाधिकारियों एवं आरक्षियों को रहने हेतु आवास एवं बैरक नहीं है । थाना प्रभारी ने बताया कि थाना भवन के लिए स्थल का चयन नहीं हुआ है । थानाभवन में मुख्य रूप से चार कमरा एवं एक छोटा काम चलाऊ हाजत है । इस थाना का क्षेत्र करीब 1/2 एकड़ में अवस्थित है जिसका सीमांकन नहीं कराया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, रहिका से सम्पर्क स्थापित कर इसका सीमांकन कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । अंचल अधिकारी, रहिका को निर्देश दिया जाता है कि थाना भवन हेतु जमीन का अधिग्रहण के जाँचोपरान्त प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ।

लगातार....2/-

3- प्रभार :-

श्री आनन्द बिहारी, अ0नि0 दिनांक 11-08-2002 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इनके पूर्व श्री श्रीकान्त कुमार, अवर निरीक्षक, थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। थाना प्रभारियों के पदस्थापन सूची का बोर्ड बना हुआ है एवं दीवाल पर टंगा हुआ भी है। निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1988 से इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार थाना प्रभारियों का नाम एवं अवधि निम्नवत है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	सम्वर्ग	कार्य अवधि
1-	श्री कमल प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	16-01-1988 से 26-09-1989 तक
2-	श्री शंकर प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	26-09-1989 से 20-04-1990 तक
3-	श्री लाल बहादुर सिंह	अवर निरीक्षक	23-04-1990 से 20-07-1990 तक
4-	श्री तारकेश्वर शरण	अवर निरीक्षक	20-07-1990 से 22-02-1991 तक
5-	श्री ललन प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	27-02-1991 से 11-08-1992 तक
6-	श्री देव नारायण उराँव	अवर निरीक्षक	11-08-1992 से 28-01-1993 तक
7-	श्री राम नरेश झा	अवर निरीक्षक	30-01-1993 से 13-05-1993 तक
8-	श्री राजेन्द्र मिश्र	अवर निरीक्षक	21-05-1993 से 24-04-1995 तक
9-	श्री चन्द्रमा सिंह	अवर निरीक्षक	24-04-1995 से 01-07-1996 तक
10-	श्री राजेन्द्र प्रसाद साह	अवर निरीक्षक	03-07-1996 से 11-07-1997 तक
11-	श्री एम0 रहमान	अवर निरीक्षक	11-07-1997 से 17-03-1999 तक
12-	श्री रामाश्रय यादव	अवर निरीक्षक	17-03-1999 से 12-05-2000 तक
13-	श्री विलियम तिग्गा	अवर निरीक्षक	12-05-2000 से 07-11-2001 तक
14-	श्री श्रीकान्त कुमार	अवर निरीक्षक	07-11-2001 से 11-08-2002 तक
15-	श्री आनन्द बिहारी	अवर निरीक्षक	11-08-2002 से अद्यतन।

4- स्थापना :-

रहिका थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	3	-	1
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	-	-
3-	हवलदार	1	1	-	1
4-	आरक्षी	7	4	3	-
	कुल :-	12	10	3	2

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी के तीन पद अभी तक रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त अवर निरीक्षक का एक पद एवं हवलदार का एक पद स्वीकृत बल से अतिरिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि रिक्त स्थानों के विरुद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

स्वीकृत बल के विरुद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन का विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	आनन्द विहारी	11-08-2002	रोड नं0-22, प्लॉट नं0-109, श्री कृष्णा नगर, पटना ।
2-	अवर निरीक्षक	अरि टिर्की	10-01-2000	ग्राम-रघुनाथपुर टूक टोली, थाना-रामडीह, जिला-गुमला ।
3-	अवर निरीक्षक	जगन्नाथ शर्मा	24-10-2001	ग्राम-नरसिंगपुर, पो0-थाना-कुमहरी, जिला-मुजफ्फरपुर ।
4-	सहायक अवर निरीक्षक	राजेन्द्र मोआड	19-02-2001	ग्राम-महुआ, थाना-तरारी, जिला-आरा भोजपुर ।
5-	सहायक अवर निरीक्षक	बैधनाथ सिंह	27-06-2002	ग्राम-टाटो झरिया, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग ।

लगातार...4/-

6-	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	02-03-2001	
7-	सहायक आरक्षी 602	दिलीप कुमार सिंह	14-07-2002	ग्राम-धारपुर, थाना-गर्दनीबाग, पटना
8-	आरक्षी-511	धनंजय राय	26-04-2002	ग्राम-रघुर कोराई, थाना-लौकि, जिला-बाँका ।
9-	आरक्षी-58	सुशील कुमार मिश्रा	22-08-2002	ग्राम-मरगुआ, थाना-औराई, जिला-मुजफ्फरपुर ।
10-	आरक्षी-668	अशफाक खान	27-09-2002	ग्राम-पुरैठा, थाना-जाले, जिला-दरभंगा
				ग्राम-सिसोपरसरी, थाना-सदर दरभंगा, जिला-दरभंगा ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

रहिका थाना का निरीक्षण पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1-	श्री नरेश प्रसाद सिंह	अनुमण्डल आ०पदा०, मधुबनी ।	21-12-1996	26-12-1996	01-02-1997
2-	श्री राम लखन प्रसाद,	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	01-03-1997	अप्राप्त	-
3-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरक्षी निरीक्षक, सदर	19-03-1997	20-03-1997	01-05-1997
4-	श्री शाहिद अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	03-06-1997	18-07-1997	09-10-1997
5-	श्री यू०एस०सुधांशु	अनुमण्डल आरक्षी पदा०, सदर मधुबनी ।	28-11-1997	02-12-1997	25-01-1998
6-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरक्षी निरीक्षक, सदर	12-01-1998	12-01-1998	05-06-1998
7-	श्रीमती प्रीता वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	27-02-1999	17-06-1999	04-02-2002

लगातार....5/-

8-	श्री नरेश प्रसाद सिंह	आरक्षी उपाधीक्षक(मु0), मधुबनी ।	17-03-2002	27-03-2002	11-08-2002
9-	श्री विमलेश प्र0सिंह	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	23-03-2002	23-05-2002	10-08-2002
10-	श्री राघो प्रसाद सिंह	आरक्षी निरीक्षक, सदर	31-10-2002	05-11-2002	20-11-2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 से विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है, जबकि यह थाना वर्ष 1977 से ही कार्यरत है । थाना-प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 1996 से पूर्व का निरीक्षण टिप्पणी खोजकर उसका विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि इस थाना का किसी भी जिला पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में निरीक्षण नहीं किया गया है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थाना का वार्षिक निरीक्षण करें । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पंजी का अवलोकन किया । प्राय: सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी एक ही पंजी में साटा हुआ है । यह प्रथा ठीक नहीं है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग पंजी(रक्षी संचिका) संधारित होना चाहिए एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में साटना चाहिए । साथ ही नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि अन्तिम अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो तो अन्तरिम अनुपालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन भेजने में विलम्ब किया गया है । थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करें ।

6- थानादैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-116 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित किया जाना है, जो विधिवत इस थाना में संधारित किया गया है । यह दो प्रतियों में तैयार की जाती है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती

लगातार...6/-

है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अन्तिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ घटित होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में रहा है अथवा नहीं, उक्त तिथि का मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । थाना दैनिकी को थाना का दर्पण (Mirror of the Police Station) भी कहा जाता है । थाना दैनिकी के भौलूम संख्या 13969 के क्रमांक 139660 से 139690 तक का अवलोकन किया । पंजी अच्छे ढंग से संधारित किया जा रहा है ।

7-फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म संख्या-16 में फिरारी पंजी संधारित करना है, जिसे विधिवत संधारित किया गया है । थाना प्रभारी ने बताया फिरारी पंजी के भाग-I एवं भाग-II में कोई फिरारी का नाम दर्ज नहीं है ।

8- रजिस्टर ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म संख्या-50 में इस पंजी को संधारित करना है, जो संधारित है । इस पंजी के अनुसार दिनांक 21-11-2002 तक कुल 11 वारंट एवं 9 कुर्की तामिला हेतु लंबित है । लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नवत है :-

पूर्व से लंबित		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
49	15	01	0	39	06	11	09

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 11 वारंट एवं 9 कुर्की तामिला हेतु लंबित चले आ रहे है, जो गम्भीर विषय है । थाना प्रभारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है लंबित वारंट/कुर्की कितने दिनों से लंबित हैं । नियमानुसार लंबित वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर किया जाना चाहिए । आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधुबनी को निर्देश दिया

लगातार..7/-

जाता है कि वे इसकी छानबीन कर स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें ।

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वारंट	कुर्की
1-	श्री आनन्द बिहारी	अवर निरीक्षक	0	3
2-	श्री आर्थर टिर्की	अवर निरीक्षक	8	4
3-	श्री जगन्नाथ शर्मा	अवर निरीक्षक	1	0
4-	श्री राजेन्द्र मौआड	सहायक अ०निरी०	2	2
5-	श्री बी०एन०सिंह	सहायक अ०निरी०	0	0
		कुल :-	11	9

9- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म संख्या-25 में यह पंजी संधारित है । इस पंजी का अवलोकन किया गया । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 13-11-2002 को जिला शस्त्र पंजी से मिलान किया गया है । शस्त्र अधिनियम -48 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से कराना है, जो किया जा रहा है ।

इस थाना में कुल 25 शस्त्र अनुज्ञाप्त है, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

{क} एस०बी०बी०एल० - 01
{ख} डी०बी०बी०एल० - 23
{ग} रिवाल्वर - 0
{घ} राईफल - 01

25

10- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम-11 के नियम-239 ए फार्म संख्या-43 ए. में यह पंजी संधारित किया जाना है, जो विधिवत संधारित है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना परिसर में ही एक छोटा सा हाजत बना हुआ है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। थाना प्रभारी द्वारा इस पंजी का संधारण किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस पंजी में थाने में गिरफ्तार कर लाये गये व्यक्तियों का नाम, तिथि एवं न्यायालय अग्रसारण एवं जमानत पर मुक्त करने काउल्लेख किया जाता है। यह पंजी अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाताहै, कॉलम खाली छोड़ दिये जाते हैं, तथा यदि संयोगवश बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जायगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। इस पंजी का महत्त्वपूर्ण उस समय और भी बढ़ जाता है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करें एवं पंजी अद्यतन रखें।

11- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म संख्या-67 में यह पंजी संधारित करना है, जो संधारित है। थाना प्रभारी ने बतायाकि इस थानान्तर्गत कोई शस्त्र जमा/जप्त नहीं है।

12- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या-51 ए. में इस पंजी का संधारण किया जाना है, जो विधिवत संधारित है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष अभी तक कुल 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जनवरी में 2, फरवरी में 3, मार्च में 2, अप्रील में 2, मई में 1, जून में 8, जुलाई में 7, अगस्त में 2, सितम्बर में 10, अक्टूबर में 9 एवं नवम्बर में 23 व्यक्तियों कोगिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है।

13- तख्ती नं0-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है। तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित

लगातार...9/-

होती है । तख्तीका अवलोकन किया गया । इसका अन्तिम मिलान आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से दिनांक 18-11-2002 को किया गया है। यह एक महत्त्वपूर्ण तख्ती है, इसका संधारण सही ढंग से करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया ।

14- तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारी एवं कर्मियों का नाम, पता, वेतनमान, पर्व पदस्थापन स्थान एवं इस थाना में पदस्थापन की तिथि इस तख्ती में अंकित रहती है ।

15- तख्ती नं0-3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दुकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया कि कि इस थानान्तर्गत विस्फोटक अनुज्ञाप्ति-प्राप्त भंडार का कोई मामला नहीं है ।

16- तख्ती नं0-4 :-

इस तख्ती में आयुध, गोला बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भंडार नहीं है ।

17- तख्ती नं0-5 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दुकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में विष अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञाप्ति प्राप्त कोई दुकान नहीं है ।

18- तख्ती नं0-6 :-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त दुकानों की सूची रखी जाती है । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत तीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त देशी एवं विदेशी शराब की दुकान है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुज्ञाप्तिधारी का नाम/पता	अनुज्ञाप्ति संख्या	दुकान का प्रकार	दुकान का स्थल
1-	श्री उपेन्दर महतो पे0 रामदक्ष महतो, ग्रा0-सीतामढ़ी, गोशाला रोड, सीतामढ़ी	668-6/2002-03	विदेशी शराब	मो0 मुन्ना के मकान में पेट्रोल पम्प के सामने ।

लगातार....10/-

2-	श्री राजीव कुमार सिंह पे० उपेन्द्र नाथसिंह सा०-थाना-मटिहानी, जिला-बेगुसराय	66ए-12/2002-03	देशी शराब	श्री पवन कुमार झा के मकान इन्ताफ चौक, रहिका
3-	श्री चिन्देश्वर प्रसाद पे० स्व० हरि प्रसाद, पुरानी बस्ती वार्ड नं०- 5, मधुबनी ।	66ए-30/2002-03	देशी शराब	श्री हेमानन्द झा, सा-बसौली

19- तहती नं०-7:-

इस तहती में लंबित अन्वेषण काण्ड (विशेष एवं अविशेष) की विवरणी अंकित की जाती है । तहती के अनुसार लंबित विशेष काण्डों की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	वि०प्र०सं०	काण्ड संख्या/वर्ष	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1-	384/99	273/99	30-10-99	302/201 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	आदेश हेतु ।
2-	451/02	251/02	05-08-02	304 बी./201/34 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अनुसंधान में ।
3-	547/02	283/02	04-09-02	406/420/34भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अनुसंधान में ।
4-	548/02	284/02	04-09-02	341/342/323/379/ 284/504/34भा०द०वि० एवं 3/10अ०ज०जाति अत्याचार अधिनियम	अ०नि० आनन्द बिहारी	गिरफ्तारी हेतु ।
5-		328/02	11-10-02	420 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अनुसंधान में ।
6-	661/99	334/99	18-11-99	379 भा०द०वि० एवं 39 वि०अ०	अ०नि० ए० टिर्की	आदेश हेतु ।
7-	554/02	292/02	07-09-02	341/323/379/498/ भा०द०वि०, 3/4 दहेज अत्याचार ।	अ०नि० ए० टिर्की	गिरफ्तारी हेतु ।
8-	660/99	332/99	18-12-99	379 भा०द०वि० तथा 39 वि० अधि०	स०अ०नि० बी०एन०सिंह	न्यायालय से कुर्की प्राप्त कराने हेतु ।
9-	391/02	211/02	07-10-02	366ए/323/504/120 बी. भा०द०वि०	स०अ०नि०बी०एन०सिंह	आदेश हेतु ।
10-	430/02	230/02	20-07-02	364/34 भा०द०वि०	स०अ०नि० बी०एन०सिंह	आदेश हेतु ।

लगातार... 11/-

11-		101/02	09-04-02	448/427/504/323/ 379 भा०द०वि० तथा 3(1)10 अनु०जाति अत्या०अधिनियम।	स०अ०नि० बी०एन०सिंह	आदेश हेतु।
12-	499/02	267/02	24-08-02	363/363ए/364/379 भा०द०वि०	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	अनुसंधान में।
13-	552/02	287/02	07-09-02	364/64/379/504/ 34 भा०द०वि०	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	अनुसंधान में।
14-	345/01	135/01	22-05-01	366ए/380 भा०द०वि०	अ०नि० ए० टिर्की	आदेश हेतु।

इसी प्रकार लंबित अविशेष काण्डों की स्थिति भी निम्नप्रकार है :-

1-	6/1996	09-01-1996	279/304 ए. भा० द०वि०	अ०नि० रमाशंकर सिंह	प्रभार हेतु।
2-	58/02	27-02-2001	तदैव	अ०नि० ए० टिर्की	गाडी जप्त करने हेतु
3-	179/02	21-06-02	147/148/323/ 504/384/436/ 457/354 भा०द० वि०।	अ०नि० ए० टिर्की	आदेश हेतु।
4-	182/02	23-06-02	147/148/452/342/ 307/380/436 भा०द०वि०	अ०नि० ए० टिर्की	आदेश हेतु।
5-	198/02	04-07-02	341/323/379/504/ 34 भा०द०वि०	अ०नि० ए० टिर्की	आदेश हेतु।
6-	144/02	24-05-02	448/380/120 बी. भा०द०वि०	अ०नि० ए० टिर्की	तदैव।
7-	201/02	05-07-02	147/148/384/ 323/379/357	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	गिरफ्तारी हेतु।
8-	61/01	08-03-2001	279/337 भा०द०वि०	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	आदेश हेतु।
9-	158/02	04-06-2002	379/337 भा०द०वि०	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	आदेश हेतु।
10-	333/02	14-10-2002	279/338/304ए भा०द०वि०	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	आदेश हेतु।

11-	265/98	13-09-1998	3५/323/379/504 भा०द०वि०	स०अ०नि० राजेन्द्र मौआर	अंचल के द्वारा मांगी हेतु ।

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लंबित विशेष काण्डों में तीन काण्ड वर्ष 1999 से अविशेष काण्डों में दो मामला क्रमशः 1996 एवं 1998 से लंबित चला आ रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित सभी मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन भेजना सुनिश्चित करें ।

20- पंजी नं०-8 :-

इस पंजी में जुआ, गैम्बलिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गैम्बलिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

21- पंजी नं०-9 :-

थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाजार और मेले की सूचना इस पंजी में अंकित की जाती है । पंजी अद्यतन है । हाट-बाजार, मेला आदि लगने का स्थान एवं दिन निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	स्थान का नाम	लगने के दिन
1	2	3
1-	कपिलेश्वर स्थान	बुधवार एवं शनिवार
2-	बतौली	रविवार एवं गुरुवार
3-	रहिका	मंगलवार एवं शुक्रवार
4-	चन्द्रसेनपुर	शनिवार एवं बुधवार

22- पंजी नं०-10 :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के पंचायतों के मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद का नाम अंकित किया गया है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी में दर्ज सूचना अधूरी है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त सूची में उप प्रमुख, पार्षदों,

लगातार...,13/-

थाना क्षेत्र के विधायक/सांसद का भी नाम अंकित करें ।

23- तख्ती नं0-11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों एवं आरक्षी थानों की सूची रहती है जिन्हें डाक-डाक सूचना भेजी जाती है । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को एक भी पत्र नहीं भेजा गया है। क्या थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई पत्र नहीं भेजा जाता है ? थानाप्रभारी स्थिति स्पष्ट करें ।

24- तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 14 है, जिसकी विवरणी श्रेणीवार निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम/पिता का नाम	पता/सार्किल नं0
1-	ए/281	ताराकान्त झा पि0 नगर झा	रामनगर-I
2-	ए/302	विनोद यादव पि0 श्री देव यादव	सप्ता-III
3-	ए/303	मो0 मुन्ना पि0 जुबेर	बलाट-II
4-	ए/304	नन्दलाल सहनी पि0 बद्री सहनी	बलाट-II
5-	ए/305	जगमोहन झा पि0 लक्ष्मीकान्त झा	माडर-III
6-	ए/306	रतन सहनी पि0 शोभी सहनी	इजरा-II
7-	बी/87	किशुन देव साह उर्फ फौजी पि0 चन्द्रमौली साह ।	रहिका-I
8-	ए/12	विनयचन्द्र झा पि0 शुभंकर झा	सप्ता-III
9-	ए/16	शिवछ लाल यादव पि0 परमेश्वर यादव	सप्ता-III
10-	ए/296	चुल्हाई राम पि0 ठीठर राम	पोखरौनी-III
11-	ए/299	जगदीश केवट पि0 ठकन केवट	माझर-III
12-	बी/39	जयलाल दुसाध पि0 चुल्हाई दुसाध	जितवारपुर-II

लगातार...14/-

13-	ए/158	राजगीर मंडल पे0 युगेश्वर मंडल	बलाट-II
14-	बी/85	राजेन्द्र मंडल उर्फ लंगड़ा पे0 जगदेव मंडल	सलखा-I

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी दागियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें। हो सकता है कि उपर्युक्त दागियों में से कुछ की मृत्यु भी हो गयी हो, फलस्वरूप उसकी छानबीन कर तख्ती से नाम हटाने का प्रस्ताव उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक को भेजना सुनिश्चित करें।

25- तख्ती नं0-13 :-

इस तख्ती में सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है। सूची के अनुसार सीमावर्त्ती थाना क्रमश: औरे थाना का 12, कलुआही थाना का 5, रैयाम थाना का 8, नगर थाना, मधुबनी का 4 एवं केवटी{दरभंगा} का 9 सक्रिय अपराधी अर्थात कुल 38{अड़तीस} सक्रिय अपराधी हैं। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी सक्रिय अपराधियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें।

26- तख्ती नं0-14 :-

इस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है। तख्ती का अवलोकन किया गया। तख्ती के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। थाना प्रभारी स्पष्ट करें कि क्या इस थाना से अधोहस्ताक्षरी को अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, जबकि जिला स्तर पर आयोजित "जनता दरबार" में बहुत से मामले थाने से भी संबंधित होता है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

27- तख्ती नं0-15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है। मानचित्र संधारित है। बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र टंगा रहेगा, जिस पर भटिठ्यों

लगातार...15/-

,शराब की दूकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्त्ती आरक्षी थानों का चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम 131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

28- तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल रखी जाती है, जो संधारित नहीं है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से सभी सूचनाएँ प्राप्त कर तख्ती में चिपकाना सुनिश्चित करें ।

29- सब इन्सपेक्टर नोटबुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या-75 बी. में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । थानाप्रभारी द्वारा इसे संधारित तो किया गया है, परन्तु इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं । थानाप्रभारी को इसे अपने हाथ से लिखना है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार विधिवत विहित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें एवं त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन भेजें ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर-पार्ट-I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । इसमें 68 कॉलम हैं एवं अद्यतन है । यह आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । इस पंजी में केस के मामले के संबंध में जानकारी मिलती है ।

31- खातियान इन्सपेक्शन रजिस्टर-पार्ट-II :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है एवं पंजी वर्ष 2001 का ही बना हुआ है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिसम्बर माह में नई पंजी का संधारण किया जायगा । इसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

लगातार....16/-

32- सी0डी0 पार्ट-I : :-

इसमें दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 14 दागी हैं, जिनका थाना प्रभारी द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है । पंजी सही ढंग से संधारित है ।

33- सी0डी0पार्ट-II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । इस पंजी का अवलोकन किया । पंजी में क्रमांक-933 तक लिखा गया है । 932 में कांड संख्या 187/02 दिनांक 25-6-2002 धारा 379/411 भा0द0वि0 में साईकिल चोर का नाम मो0 इम्तियाज पे0 मो0 फेरा, सा0-थाना-औंसी, जिला-मधुबनी का नाम लाल स्याही से दर्ज है तथा इसमें अल्फाबेट इन्डेक्स का नम्बर भी अंकित है ।

34- सी0डी0पार्ट-III :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है । पंजी अद्यतन संधारित है ।

35- अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है । इस पंजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट-II से जानकारी ली जाती है । इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले से संलिप्त है । यह पंजी सी0डी0पार्ट-II में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनायी गयी है । थानाप्रभारी ने बताया कि चरित्र सत्यापन से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है ।

36- अपराधामिकी पंजी :-

यह पंजी विधिवत इस थाना में संधारित किया गया है । विगत पाँच वर्षों का अपराधामिकी आँकड़ा निम्नवत है :-

लगातार...17/-

वर्ष	107/116 दं०प्र०सं०	109/110 दं०प्र०सं०	144/145 दं०प्र०सं०	133 दं०प्र०सं०	182/211 भा०द०वि०	188 भा०द० वि०	186 भा०द०वि०	290 भा०द०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997	92	-	18	-	1	1	-	-
1998	93	-	12	1	4	1.	-	-
1999	143	-	17	-	6	-	-	-
2000	126	-	09	-	3	-	-	-
2001	130	-	12	-	3	1	-	-
2002 (23-11-02 तक)	109	-	10	-	5	5	-	-

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में निरीक्षण की तिथि तक 107/116 में 109, 144/145 में 10, 182/211 में 5 एवं 188 में 5 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है । 109/110, 133, 186 एवं 290 में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी को जानकारी की कमी है । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि इसका संधारण कैसे किया जाय, की जानकारी थानाप्रभारी कोउपलब्ध करा दें । थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी के यहाँ से जो नोटिस आता है, उसके लिए अलग से एक पंजी का संधारणसुनिश्चित करें ।

37- प्राथमिकी पंजी :-

थानाप्रभारी द्वारा बताया गया कि चूँकि प्राथमिकी नगर थाना, मधुबनी में दर्ज किया जाता है, फलस्वरूप प्राथमिकी की छायाप्रति इस थाना में रखी जाती है । दिनांक 24-11-2002 तक कुल दर्जप्राथमिकी की संख्या 107 है । थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी पंजी 13 कॉलम में संधारित किया जाताहै एवं पाँच प्रतियों में तैयार किया जाताहै । दर्ज प्राथमिकी कीपहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, दूसरा प्रति आरक्षी अधीक्षक को, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पाँचवां प्रति थाना में रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि मूल आवेदन-पत्र/फर्दबयान अग्रसारित कर नगर थाना, मधुबनी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु भेजा जाता है । चूँकि थानाको प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोईव्यक्ति थाना में आता है तो उसे

लगातार··· 18/-

[illegible] । [illegible] [illegible]

[illegible] । [illegible]

14- आकृष्मिक मृत्यु :-

आकृष्मिक मृत्यु यहाँ [illegible] रूप से [illegible] है । विगत पाँच वर्षों का आकृष्मिक मृत्यु से संबंधित आंकड़ा निम्नवत है :-

वर्ष	[illegible] से	[illegible] से	पानी में डूबने से	आग से	[illegible] से	विविध	योग
1997	-	-	2	-	-	-	2
1998	-	-	3	-	-	-	3
1999	-	-	2	-	-	-	2
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	1	-	-	2	3
2002 (30-11-2002 तक)	-	-	1	2	-	-	3

घटित आकृष्मिक मृत्यु के मामलों की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	घटित का कारण
1-	1/98	[illegible]	[illegible] ।
2-	3/98	[illegible]	[illegible] ।
3-	2/99	[illegible]	[illegible] ।
4-	3/99	[illegible]	[illegible] ।
5-	2/01	[illegible]	[illegible] ।
6-	2/02	[illegible]	[illegible] ।
7-	3/02	[illegible]	[illegible] ।

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि [illegible] घटित हो रही हैं । थानाध्यक्ष [illegible]

लगातार....19/-

निर्देश दिया जाता है कि लंबित काण्डों को अविलम्ब निष्पादन कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें।

39- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी इसथाना में संधारित है। थाना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी वर्ष 1997 से संधारित है। पंजी का अवलोकन किया गया। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 21-11-2002 को सनहा संख्या 1586 समय 16.00 बजे में स0अ0नि0 बी0एन0सिंह, रहिका अस्पताल से जख्मी गोपाल कांत मिश्र पे0 बोध मिश्र, सा0-जगत, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी का फर्दबयान लाया गया जिसके आधार पर काण्ड धारा 341/323/324/379/504 भा0द0वि0 विरुद्ध अनूपलाल पासवान पे0 स्व0 जयलाल पासवान, सा0-जगत, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी के काण्ड दर्ज किया गया है। इस काण्ड का अनुसंधान स0अ0नि0 बी0एन0सिंह कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थानाप्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मददनहीं की जाती है। विदित हो कि रहिकाथाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचना मिलती रहती है। अतएव, थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू करानासुनिश्चित करें।

40- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या 6ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। परन्तु विभिन्न थानों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, जो चिन्ताजनक है। नियम 59(क) में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6ए. में नित्य प्रतिवेदन प्रेषित कियाजायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं। आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे। आरक्षी निरीक्षक, सदर, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लगातार.... 20/-

41- डकैती पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित है एवं अद्यतन है ।

42- लूट पंजी :-

इस थाना में सादे पंजी में इसे संधारित किया जा रहा है । सभी काण्डों की संक्षिप्त विवरणी इस पंजी में अंकित की जाती है ।

43- गुण्डा पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 1316(क) के अनुसार अपराध शैली के अनुसार 14 प्रकार के गुण्डों का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्नप्रकार से हैं :-(1) शराबी (2) दवाब डालकर पैसा ऐंठने वाले (3) मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले (4) महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले (5) काला बाजारी करने वाले (6) दंगाई (7) मुकदमेबाज (8) तोड़-फोड़ करने वाले (9) संप्रदायवादी (10) छात्रों को भड़काने वाले (11) स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले (12) जुआड़ी (13) छीन-छोर करने वाले एवं (14) रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले । थानाप्रभारी ने बताया कि सभी किस्म के गुण्डा की सूची वर्गीकरण के अनुसार बनायी गया है ।

44- मालखानापंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 308 के तहत फार्म -51 में मालखाना पंजी संधारित किया जाना है । यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । इस पंजी में लावारिस सामान, जप्त सम्पत्ति, कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं अपराधिक विवरणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । मालखानापंजी के अनुसार वर्ष 1991 से 2002 (24-11-2002 तक) प्रदर्श के रूप में 98, कुर्की का 37 एवं लावारिस का 6 मद मालखाना में जमा है । मालखाना पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मालखाना में रखी गई सम्पत्तियों के निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत से काण्डों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । निरीक्षण के क्रम में थानापरिसर में एक पुराना "ऑटो" पाया गया । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसके निस्तार हेतु अविलम्ब कार्रवाई किया जाय ।

लगातार... 21/-

45- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री(प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाताहै, उक्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेस्ट कर रखी जाती है। यह पंजी दो भागों में संधारित की जाती है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण सही ढंग से करना सुनिश्चित करें।

46- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संचिकाएँ संधारित की गई है, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई गई है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्ग निर्देश प्राप्त किया जा सकताहै।

47- अपराध आँकड़ा :-

रहिका थाना अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1997	-	3	2	2	5	9
1998	3	1	4	4	14	11
1999	2	2	-	1	3	4
2000	4	3	2	6	4	2
2001	3	1	2	3	2	2
2002 (24-11-2002 तक)	1	1	0	1	3	10

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र हत्या एवं लूट की घटना को छोड़कर सभी शीर्षों(मदों) में अपराध

लगातार... 22/-

की घटना में वृद्धि हुई है । इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ी हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । आरक्षी उपाधीक्षक(मुख्यालय),मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक,सदर मधुबनी को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

48- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ. में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है,जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सामावर्त्ती थानासे संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना में साक्षर आरक्षी द्वारा इसका संधारण किया जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें,क्योंकि पत्राचार किसी भी कार्यालय का महत्त्वपूर्ण अंग होता है ।

49- रोकड़ पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में इसथाना में संधारित किया गया है । यह दो भागों में लिखा जाताहै । भाग-1 में कैदी भोजन मद का लेखा-जोखा लिखा जाताहै । इस मद में माह-नवम्बर,2002 में 2550/-रूपये शेष है । भाग-11 में पदाधिकारी/कर्मियों का वेतन भुगतान एवं अन्य प्रकार के भुगतान का लेखा-जोखा लिखा जाताहै । इस मद में शेष राशिशून्य है ।

50- कॉन्सटेबुल नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 89(ङ.) के तहत कॉन्सटेबुल नोटबुक विधिवत संधारित किया जाना है,जो इस थाना में संधारित किया जा रहा है । थानाप्रभारी ने बताया कि सभी कॉन्सटेबुल द्वारा यह नोट संधारित किया जाता है एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है ।

51- कीट पैरेड :-

निरीक्षण के क्रम में कीट पैरेड का भी निरीक्षण किया गया । कीट पैरेड के निरीक्षण के क्रम में मृणाल कुमार मिश्र ने बताया कि कम्बल की कमी है । श्रीदिलीप कुमार सिंह ने बताया उन्हें मच्छरदानी कीकमी है । आरक्षी अधीक्षक,मधुबनी से अनुरोध है कि

लगातार...23/-

बीट पैरेड के आरक्षियों को वांछित सामग्रियाँ उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहिये ।

52- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया जाना है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है, जिसमें चौकीदारों की उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति लाल स्याही से इटालियन में लिखा जाता है । चौकीदार/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	दफादार	3	3	-	-
2-	चौकीदार	35	33	2	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार एवं चौकीदार के स्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र दो पद चौकीदार का रिक्त है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि रिक्त दो पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु चौकीदार का नाम नियमानुसार उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्णपता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	महाल एवं बीट संख्या	नाम/पिता का नाम	ग्राम का पता
1-	दफादार सर्किल नं0-I	विनोद झा पे0 स्व0 अनुरुद्ध झा	रहिका
2-	दफादार सर्किल नं0-II	राजेन्द्र सिंह पे0 चन्देश्वर सिंह	डुमरी
3-	दफादार सर्किल नं0-III	रामकृष्ण पाण्डेय पे0 स्व0 राम परीक्षण पाण्डेय ।	नाजीरपुर
4-	चौकीदार 1/1	बिलट मंडल पे0 स्व0 दुलारचन्द्र मंडल	सीमा
5-	चौकीदार 1/2	छेदी पासवान पे0 स्व0 बुल्हाई पासवान ।	सतलखा
6-	चौकीदार 1/3	राम प्रसाद यादव पे0 जगदेव यादव	छरौआ

लगातार..... 24/-

	चौकीदार I/4	मोती पासवान पे0 राम खेलावन पासवान	लकसार सतलखा
7-	चौकीदार I/5	नन्द कामत पे0 स्व0 सोमन कामत	रहिका
8-	चौकीदार I/6	मोहन यादव पे0 स्व0 अमृत यादव	रहिका
9-	चौकीदार I/7	बहादुर पासवान पे0 माखन पासवान	रहिका असरतपुर
10-	चौकीदार I/8	दिलीप मंडल पे0 स्व0 जगदेव मंडल	जरोखर
11-	चौकीदार I/9	विन्देश्वरपासवान पे0 स्व0 गंगाई पासवान	ककरौल
12-	चौकीदार I/10	कारी पासवान पे0 स्व0 दुलारचन्द्र पासवान	चन्द्रसैनपुर ,रखवास टो
13-	चौकीदार I/11	हीरालाल पासवान पे0 स्व0 भूनेश्वर पासवान	कमलपुर
14-	चौकीदार II/2	जिराई खतवे पे0 स्व0 जलेश्वर खतवे	डुमरी
15-	चौकीदार II/3	मोहन पासवान पे0 किशुन पासवान	पट्टीजगर
16-	चौकीदार II/4	उत्तिम पासवान पे0 स्व0 खोखाई पासवान	मलंगिया
17-	चौकीदार II/5	छट्टू पासवान पे0 स्व0 द्वारिका पासवान	खरौआ
18-	चौकीदार II/6	सगुन लाल पासवान पे0 स्व0 भोला पासवान	मलंगिया
19-	चौकीदार II/7	मो0 कासीम पे0 स्व0 अब्दुल हकीम	झजरा
20-	चौकीदार II/8	किसुन सहनी पे0 स्व0 पुरण सहनी	झजरा सतधरा
21-	चौकीदार II/9	मिश्री पासवान पे0 कारी पासवान	सुगौना
22-	चौकीदार II/10	जीवन पासवान पे0 स्व0 मुनेश्वर पासवान	बसौली,सुगौना
23-	चौकीदार II/11	अवधेश दास पे0 अगहनु दास	बसौली
24-	चौकीदार II/12	राम प्रसाद दास पे0 सुकन दास	बलाट
25-	चौकीदार III/1	अयोधी पासवान पे0 स्व0 छड़ी पासवान	नाजीरपुर
26-	चौकीदार III/2	राम प्रसाद पासवान पे0 पुलकित पासवान	धनुखी
27-	चौकीदार III/3	माधुरी कामत पे0 स्व0 बजरंगी कामत	सौराठ
28-	चौकीदार III/4	राजगीर मंडल पे0 स्व0 सिंहेश्वरमंडल	पोखरौनी
29-	चौकीदार III/5	हकरन पासवान पे0 स्व0 उधन पासवान	माकर
30-	चौकीदार III/6	दुलार पासवान पे0 स्व0 दुखहरण पासवान	श्रीचन्द्रपुर
31-	चौकीदार III/7	रौदी पासवान पे0 भिट्ठु पासवान	जितवारपुर
32-	चौकीदार III/9	चन्देश्वर पासवान पे0 मिश्री पासवान	बहरवन
33- 34-	चौकीदार III/10	शिवनन्दन पासवान पे0 स्व0 बंगाली पासवान	कनैल टोला,शिवचन्द्रपुर

लगातार.... 25/-

35-	चौकीदार 111/11	उत्तीम पासवान पे०स्व० बंगाली पासवान	नमठौली
36-	चौकीदार 12 /12	सोहन पासवान पे० स्व० महरून पासवान	फतेपुर महाल सप्ता ﴾इन्‍नर थाना में प्रतिा﴿

53- चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

चौकीदार डिसपोजीशन पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है ।

54- सम्मान गार्ड :-

अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नांकितसम्मान गार्ड कवायद द्वारा सलामी दी गयी । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार पुरस्कृत करना चाहेंगे ।

1- हवलदार राम सुन्दर राम
2- आरक्षी-836 सुरेन्द्र यादव
3- आरक्षी-811 अवध लाल यादव
4- आरक्षी-757 उदय शंकर सिंह
5- आरक्षी-470 प्रमोद कुमार

55- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से उनके कर्त्तव्य के बारे में पूछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । फिर भी विशेष जानकारी हेतु बिहार पुलिस हस्तक के नियम 61﴾क﴿ में थानाप्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

﴾क﴿ अधिवासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।
﴾ख﴿ अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे थाना।
﴾ग﴿ अपराध निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
﴾घ﴿अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी रखना ।

लगातार.....26/-

{ङ} सघन गश्त की व्यवस्था करना ।
{च} अपराधिकता के क्षेत्रों में आपराधिक रिकार्ड उपस्थापित करना ।
{छ} सीमावर्ती थानों के पदाधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ बिहार पुलिस मैनुअल में दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

56- अनुसंधान :-

{क} जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0 पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एडजर्नमेंट का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल प्रोसिक्यूशन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे तथा केस डायरी की मांग किये जाने पर तत्काल उपलब्ध करा देंगे ।

{ख} एस0पी0पी0 द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थाना प्रभारी, लंबित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

{ग} नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी0डब्लू0 एवं बी0 डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके । थाना प्रभारी से पूछने पर कि नीलाम-पत्र वाद का कोई मामला तामिला हेतु लंबित है अथवा नहीं, के संबंध में बताया गया कि कुछ मामले लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नीलाम-पत्र से संबंधित जो भी मामला है, उसकी सूची बनाकर यदि कालबाधित हो रहा हो, तो उसे रिकॉल कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

{घ} भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदार को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि की वसूली की जा सके ।

{ङ} गरीब एवं असहाय पिछड़े/अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें

लगातार..27/-

(ब) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(छ) चौकीदारी परेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में एवं अन्य गतिविधि के संबंध में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली में अंचल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

57- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी श्री आनन्द बिहारी, एक नौजवान एवं चुस्त-दुरुस्त पदाधिकारी हैं । यद्यपि श्री बिहारी इस थाना के लिए नये पदाधिकारी हैं, फिर भी कई बातों का सीखने की प्रवृत्ति है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । साथ ही थाना में स्थित सभी पंजियों में, त्रुटियों का सारांश पंजी के प्रथम पन्ने में अवश्य करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है, तो थाना के कार्यकलाप में और भी गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

ह/- (डा०बी०राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार.....28

ज्ञाप संख्या 1927 (सामान्य, मधुबनी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि थाना प्रभारी, रहिका थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 31.12.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।